न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 655–पीबीआर/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–2–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 90/97–98/अपील माल.

लक्ष्मण सिंह पुत्र गया जाटव
निवासी ग्राम पुटटी
परगना डबरा जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– रामस्वरूप पुत्र लालसिंह
2– भोगीराम पुत्र लालसिंह
निवासी ग्राम पुटटी
परगना डबरा जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री सी0एम0 गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/3/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–2–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायलय के समक्ष संहिता की धारा 110/190 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पुट्टी तहसील डबरा जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे कमांक 325, 326 व 327 उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि से मिली हुई है, और बीच में कच्ची दीवार है ।

प्रश्नाधीन भूमि को भोगीराम द्वारा 100/– रूपये के वार्षिक लगान पर मौखिक रूप से पट्टे पर दी गई थी । प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा दर्ज किये जाने का आदेश तहसील न्यायालय से हो गया है, परन्तु कब्जा अंकित होना शेष है, अतः कब्जा दर्ज किया जाये, जिस पर अनावेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 7–3–92 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–9–97 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–2–2006 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद कमांक 77ए/94 में आवेदक के पक्ष में स्थगन दिया गया है, जिस पर बिना विचार किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 169, 185 एवं 190 के प्रावधानों पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है, जबकि उक्त धाराओं के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक को स्वत्व प्राप्त हो गया था । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा बिना अभिलेख बुलाये आदेश पारित किया गया है, इसलिए उनका आदेश भी विधिसंगत नहीं है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है, और उनके द्वारा कभी भी प्रश्नाधीन भूमि आवेदक को पट्टे पर नहीं दी गई है । यह भी कहा गया कि कब्जे के आधार पर स्वत्व का निर्धारण करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर व्यवहार न्यायालय को है, इसलिए तहसील न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, और तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत

किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण प्रचलित रखकर येन–केन–प्रकारेण प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जे के आधार पर स्वत्व प्राप्त करना चाहता है, जो कि वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं है । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विस्तार से राजस्व न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक अकारण मुकदमाबाजी में लिप्त होकर मूल भूमिस्वामी और उससे क्रय करने वाले अनावेदकगण को उनके स्वत्व से वंचित रखना चाहता है । इसी आशय के निष्कर्ष तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले जाकर आदेश पारित किये गये हैं । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–2–2006 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर